



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004  
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1<sup>st</sup> FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004  
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/स्पोर्ट्स कोटा/08/5968 दिनांक:-11.07.2018

प्रति,  
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-200/2018

**विषय:-Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/Production Units against Sports Quota.**

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. 2015/E(Sports)/4(1)/11 दिनांक 20.06.2018, RBE No. 90/2018, Clarif./Corrig. No. 94 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	Letter of even no. dated 25.05.2016	109/2016
2	Letter of even no. dt. 31.07.2017	94/2018

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

**Web-site-**

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

**Share Folder-**

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(प्रदीप मिश्रा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)  
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

4338  
10/07/18

RBE No. 90/2018  
Clarification/Corrigendum No. 94

भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

EIR No. - 200/2018

P/1

No. 2015/E(Sports)/4(1)/11

New Delhi, dated 20 June, 2018

The General Managers (P),

All Zonal Railways including  
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,  
The CAO(R), DMW/Patiala,  
The DG, RDSO/Lucknow.

**विषय:** Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/ Production Units against Sports Quota.

**सन्दर्भ:** Board's letter of even number dated 25.05.2016 and 31.07.2017. 94/18

Attention is invited to Board's letter of even number dated 25.05.2016 and 31.07.2017 wherein it was decided that the Group 'D' quota allotted for recruitment of sportspersons in Grade Pay Rs. 1800/- may be frozen for the year 2016-17 and 2017-18 respectively.

The matter has been reviewed and it has been decided that freeze of Recruitment under sports quota in Grade Pay Rs.1800/- will continue in 2018-19 also.

*Bhaskar Roy Choudhury*

(Bhaskar Roy Choudhury)  
Dy. Director, Estt.(Sports)

No. 2015/E(Sports)/4(1)/11

New Delhi, dated 20 June, 2018

**Copy to:**

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.

*[Signature]*

For Secretary/ Railway Board

**Copy to:** The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.

**Copy in Board's Office to:**

PPSS/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches.

So  
20/6/18  
R  
09/07/18

✓ CPO (IR)		
Dy. CPO (HQ.)	Dy. CPO (CON.)	Chairman (RBE)
SPO (RP)	SPO (GAZ.)	SPO (HRD)
SPO (HQ)	APO (Bills)	PS to CPO
PCPO		

200/18  
P/2

आरबीई सं. 90/2018  
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 94

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAYS BOARD)

सं. 2015/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/11

नई दिल्ली, दिनांक: 20 जून, 2018

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

चितरंजन रेलइंजन कारखाना, डीजल रेलइंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना,  
रेल कोच फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,  
महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ.

विषय : क्षेत्रीय रेलें /उत्पादन इकाइयों में खेलकूद कोटा के तहत खिलाड़ियों की भर्ती ।  
सन्दर्भ : बोर्ड का दिनांक 25.05.2016 तथा 31.07.2017 का समसंख्यक पत्र ।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 25.05.2016 तथा 31.07.2017 के समसंख्यक पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह विनिश्चय किया गया था कि ग्रेड पे रु. 1800/- में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवंटित गुप 'डी' कोटे पर क्रमशः 2016-17 तथा 2017-18 के लिए रोक लगा दी जाए ।

मामले की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि ग्रेड पे रु. 1800/- में खेलकूद कोटा के तहत भर्ती पर लगी रोक 2018-19 में भी जारी रहेगी ।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक, स्था. (खेलकूद)

सं. 2015/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/ 11

नई दिल्ली, दिनांक: 20 जून 2018

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली.
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली.
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

नवीन गुप्ता  
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: मानद महासचिव, खेलकूद संघ, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयों

20  
06/18